संख्या-264/2025/**87** वी0आई0पी0/41-**2**-2025-सीएन-1792483

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 23 अप्रैल, 2025**

विषय:-जनपद अयोध्या में सरयू पुल (नया घाट गोण्डा मार्ग) पर डायनमिक फसाड लाईट की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के पत्र सं0-788 वी0आई0पी0/मं0प0सं0/ 2025, दिनांक 08.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 24.02.2023 के क्रम में उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-145/2024/350/41-2-2024-सीएन-1792483, दिनांक 16.03.2024 के माध्यम से धनराशि रू0 884.53 लाख (18 प्रतिशित जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

3- प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) द्वारा अभी तक प्रश्नगत योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) के स्थान पर उ**0**प्र**0** प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि**0 (**यू**0**पी**0**सी**0**एल**0)** को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना पर अवमुक्त धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) को वर्तमान नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) के पक्ष में स्थानान्तरित करने एवं अवमुक्त धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) पर अब तक अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराने एवं शासन को तद्नुसार अवगत कराये जाने तथा वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष लागत पर कार्य किये जाने के सम्बन्ध में सहमति/आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, अयोध्या।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । j

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । j